शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

संचिका संख्याः–11(नि०)/मु 01–36/2026...409...   पटना, दिनांक ...21-5-...2026

विषयगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका संख्या–728/2026 मनीषा कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–20.01.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में आदेश पारित किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"…….Considering the limited nature of prayer being made by learned counsel for the petitioner, this writ application is disposed of directing the Additional Chief Secretary, Education Department, Government of Bihar, Patna to dispose of the pending representation of the petitioner dated 05.02.2025 (Annexure-P/3) within six months from the date of receipt/production of a copy of this order, after giving an opportunity of hearing to the petitioner. Needless to emphasize that the final order which shall be passed by the respondent no.2 should be a reasoned and speaking order. It is further made clear that in case the petitioner is found entitled to the relief, which the petitioner is claiming through the pending representation, then the same should be extended to the petitioner within a further period of four months from the date of passing of the final order by the respondent no.2. ……"

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवेदिका द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में STET 2019 के परीक्षा परिणाम जो दो श्रेणी यथा Qualified and in merit list तथा Qualified but not in merit list में रखा गया है, में से वैसे अभ्यर्थी जो Qualified and in merit list में है, के संबंध में युक्ति–युक्त आदेश पारित कर शिक्षक के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

NCTE भारत सरकार द्वारा TET प्रमाण पत्र की अनुमान्यता Valid for Lifetime कर दिये जाने के आलोक में विभागीय पत्रांक–893 दिनांक–22.06.2021 द्वारा मई 2012 के प्रभाव से STET प्रमाण पत्रों की अनुमान्यता Valid for Lifetime किया गया।

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्रों की अनुमान्यता Valid for Lifetime किये जाने की पृष्ठभूमि तथा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दो श्रेणियों में रखे जाने की स्थिति में सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित कमिटि द्वारा निम्नांकित अनुशंसा की गई।

STET 2011 के परिणाम से समांजन स्थापित करने और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के द्वारा STET 2019 के परीक्षा परिणाम जो दो श्रेणी यथा Qualified and in merit list तथा Qualified but not in merit list में रखा गया है, में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्ति हेतु 7वें एवं आगे के चरण में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाय।

STET की आगामी परीक्षाफल में UGC-NET की भांति सिर्फ Qualified या Not Qualified दिया जाय।

STET 2019 के लिए निर्गत विज्ञापन से हटकर निर्णय लिये जाने की स्थिति में जारी होने वाले आदेश/अधिसूचना का Legal Vetting करा लेने की अनुशंसा की गयी।

सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित कमिटि द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर विभागीय आदेश ज्ञापांक–414 दिनांक–26.06.2021 निर्गत किया गया। संदर्भित विभागीय आदेश ज्ञापांक–414 दिनांक–26.06.2021 की कंडिका–4 में यह उल्लेखित है कि सम्यक विचारोपरांत विभाग द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि STET 2019 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर घोषित Qualified सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं

आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाय। जिसके आलोक में "बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2023 में यह प्रावधान किया गया कि इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी। जिस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है, उस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह के पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षो की छूट देय होगी।

उक्त के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका संख्या–728/2026 मनीषा कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–20.01.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में अभ्यावेदन के माध्यम से समर्पित वादी के नियोजन संबंधी दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है।

Rajendra 20.4.2026

(डॉ0 बी० राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः–11(नि०)/मु 01–36/2026..409.. पटना, दिनांक 21-4-2026

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग से अनुरोध है कि आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें।

2. सुश्री/श्रीमती मनीषा कुमारी, पिता– संजय कुमार शर्मा, पता–वार्ड नं0–42, शर्मा टोला, मिर्जापुर, बंदद्वार, जिला– बेगुसराय,बिहार, मो0नं0–8677858620 को सूचनार्थ प्रेषित।

Rajendra 20.4.2026

अपर मुख्य सचिव।